रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072020-220716
CG-DL-E-28072020-220716

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2164] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2020/श्रावण 5, 1942
No. 2164] NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 2020/SHRAVANA 5, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2020

का.आ. 2451(अ).— भारत और दुनिया भर में कोविड -19 महामारी का प्रकोप हुआ है;

औषधि का स्टॉक रखने या विक्रय करने के लिए औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अध्याय 4 के उपबंधों और औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के उपबंधों के अधीन बिक्री अनुज्ञप्ति की अपेक्षाओं से हैंड सैनिटाइजर को छूट देने का अनुरोध करने वाले कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि कोविड -19 महामारी के कारण उद्भूत आपात स्थिति की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हैंड सैनिटाइजर आवश्यक है और उनकी सहज उपलब्धता लोकहित में बनी है;

केंद्रीय सरकार यह आवश्यक समझती है कि हैंड सैनिटाइजर व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर जनता के लिए उपलब्ध कराने की आवश्यकता है;

अतः ,अब ,केन्द्रीय सरकार ,औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 26ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ,यह निदेश देती है कि उक्त औषधि अर्थात् "हैंड सैनिटाइजर" का स्टॉक रखने या

विक्रय करने के लिए औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अध्याय 4 और औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के उपबंधों के अधीन हैंड सैनिटाइजर का स्टॉक रखने या विक्रय करने वाले व्यक्ति द्वारा उक्त नियमों के नियम 65 की शर्त (17) के उपबंध के अध्यधीन बिक्री अनुज्ञप्ति की आवश्यकता से छूट दी जाएगी ।

2. यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. एक्स.11014/3/2020–डीआर]

डॉ. मनदीप के भण्डारी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2020

S.O. 2451(E).— Whereas, there has been an outbreak of COVID-19 pandemic in India and worldwide;

Whereas, several representations requesting to exempt hand sanitizers from the requirement of sale licence under the provisions of Chapter IV of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and the provisions of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 for stocking or sale of the drug have been received;

Whereas, the Central Government is satisfied that hand sanitizers are essential to meet the requirements of emergency arising due to COVID-19 pandemic and their easy availability is made in public interest;

Whereas, the Central Government considers it necessary that hand sanitizers are required to be made widely available to the public at large;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 26B of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government, hereby directs that the drug, namely, hand sanitizer shall be exempted from the requirement of sale licence for its stocking or sale under the provisions of Chapter IV of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 and the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, subject to the condition that provisions of condition (17) of rule 65 of the said Rules are complied with by the person stocking or selling hand sanitizers.

2. This order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. X.11014/3/2020-DR]

Dr. MANDEEP K BHANDARI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2020.07.28 19:03:23 +05'30'